निर्णय बइजलास श्री संतोष कुमार मीना (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड (राज0) निर्णय दिनांक 07.10.2020

प्रकरण संख्याः 34 / प्रार्थना पत्र / 20 तारीख दायरा 05.10.2020

उनवान

1– सुमित्रा बाई पत्नी नारायणसिह जाति गूर्जर निवासी आसलपुर।

2– सोहन बाई पत्नी सुजानसिह जाति गूर्जर निवासी नानाखेडा।

3– धापू बाई पत्नी नारायणसिह जाति गूर्जर निवासी नानाखेडा।

———————— वादनीगण

बनाम

1– उर्मिला देवी पत्नी मदनमोहन जाति ब्राह्मण निवासी चक्की वाली गली घाटोली

——— अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 07.10.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादनीगण ने प्रार्थना पत्र जर्ये अधिवक्ता श्री योगेश कुमार गोयल द्वारा अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम आसलपुर तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या नई 236 पुराना 10 की खसरा न0 119 की 2.16 बीघा, 120 की 2.16 बीघा, 218 / 109 की 0.17 बीघा, 920 / 110 की 0.16 बीघा, 921 / 111 की 1.13 बीघा कुल जुम्ला 5 किता की 9.00 बीघा आराजी वादनीगण के शामलाती खातेदारी की स्थित है। वर्णित आराजी में नया रास्ता कायम हेतु इसके पास अप्रार्थीया खातेदार की खसरा नम्बर 122 की 4.00 बीघा स्थित है जिसमे से पश्चिम से पूर्व कोने की तरफ लगभग 35 मीटर व दक्षिण से उत्तर की ओर 25 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 60 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 240 वर्ग मीटर या 0.03 बीघा रास्ता दिया जावे। वादनीगण की ओर से डी. एल.सी दर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जो शामिल फायल है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को तलब किया गया। अप्रार्थीया ने उपस्थित होकर जर्ये अधिवक्ता श्री भागचन्द मीना द्वारा मय वकालत नामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल फायल किया गया मुताबिक जवाब अप्रार्थीया वादनीगण द्वारा अप्रार्थीया की खातेदारी आराजी ग्राम आसलपुर की खसरा नम्बर 122 की 4.00 बीघा मे से पश्चिम से पूर्व कोने की तरफ लगभग 35 मीटर व दक्षिण से उत्तर की ओर 25 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 60 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 240 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने मे कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थीया के बयान दर्ज किये गये जो शामिल फायल है। अप्रार्थीया वादनीगण द्वारा चाहे गये अनुसार अपनी खातेदारी भूमि मे से रास्ता दिये जाने मे सहमत है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसलपुर की खसरा नम्बर 122 की 4.00 बीघा मे से पश्चिम से पूर्व कोने की तरफ लगभग 35 मीटर व दक्षिण से उत्तर की ओर 25 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2020.10.14 13:40:22 IST
Reason: SelfAttested

60 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 240 वर्ग मीटर या 0.03 बीघा रास्ता इस शर्त पर दिया जाता है कि वादनीगण बाजार दर 871772/– का दुगना राशि 1743544/– प्रति बीघा राशि के आधार पर प्रस्तावित भूमि की बाजार दर 261532/– जमा राज करवाये। यदि अप्रार्थीया द्वारा उक्त राशि लेने से मना किया जाता है तो उक्त राशि बतौर अमानत नियमानुसार राजकोष मे जमा किया जावे। उक्तानुसार भूमि को राजस्व रेकार्ड मे गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 07.10.2020 को मजमें आम टंकण करवाया जाकर सुनाया गया ।

(श्री संतोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2020.10.14 13:40:22 IST
Reason: SelfAttested